न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 56 / 2024	2024 / 32	12.06.2024	04.12.2024

1– उदमी राम पुत्र झूथाराम जाति अहीर निवासी ग्राम दाधिया तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल.आर. एक्ट मुकदमा संख्या 282 / 2023 निर्णय दिनाक 21.02.2024

उपस्थित–
01. श्री सतीश यादव, अनिल गुप्ता –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 282 / 2023 निर्णय दिनांक 21.02.2024 जिसके द्वारा आराजी खसरा 57 रकबा 0.06 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ता की भूमि में से रकबा 0.01 है0 में पेड, मिटटी की डोल लगा कर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व मौके से बैदखली /पैलन्टी की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया है, कि पटवारी हल्का गादूवास तह० मुण्डावर द्वारा मौका की गलत रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष पेश की गई कि खसरा नम्बर 57 रकबा 0.06 है० गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर के 0.01 है० रकबा पर उदमीराम पुत्र झूथरराम जाति अहीर निवासी दाधिया ने पेड व मिट्टी की डोल लगाकर कब्जा/अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 एल०आर०एक्ट 1956 के तहत प्रकरण सं० 282/2023 दर्ज कर, अपीलान्ट/अतिक्रमी को धारा 91 एल०आर०एक्ट का नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा बाद तामिल अधिनस्थ न्यायालय मे मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया कि मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 0.06 है० गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर मे से 0.01 है० भूमि पर पेड व मिट्टी की डोल लगाकर या अन्य किसी प्रकार भी अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, बल्कि वास्तविकता यह है, कि मिन अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 60, 61, 58, 56, 59 के दक्षिण–पूर्व कोने पर व खसरा नम्बर 53, 54, 55 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

पूर्व मे बंजड व बंजड़ के बाद रास्ता आराजी खसरा नम्बर 57 स्थित है। जिस रास्ते के पश्चिम मे बंजड स्थित है, तथा रास्ते के पूर्व मे भी बंजड स्थित है। खसरा नम्बर 393, 394, 395 के खातेदारो ने रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 57 व बंजड भूमि को दबाते हुऐ अतिक्रमण कर रखा है। जो रिपोर्ट हल्का पटवारी व टीम द्वारा सरंपच ग्राम पंचायत गादूवास द्वारा रंजिश वश एकतरफा में पैमाईश कर मिन अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए झूठे तथ्यो के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई है। मिन अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल०आर०एक्ट की गलत कार्यवाही की गई है। आराजी खसरा न0 57 व खसरा नंम्बर 60, 61, 58, 56, 59, 54, 55 व 393, 394, 395 वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर की मुन्तकिल बिन्दू से निष्पक्ष पैमाईश कराकर सीमाज्ञान कराया जावे व रास्ते को कायम किया जावे अगर मिन प्रार्थी का रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 57 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो मिन प्रार्थी अतिक्रमण हटाने को तैयार है, साथ मे दिगर लोगो द्वारा रास्ते की भूमि व बंजड पर किये गये अतिक्रमण को भी हटवाया जाकर सीमाज्ञान कराया जावे, तथा मौके पर 10 फुट चौड़ा रास्ता चालू है। जिसमे आने जाने मे किसी प्रकार की बाधा नहीं है, ना ही उक्त 10 फुट रास्ता मे आवागमन मे मिन अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की बाधा कारित की जावेगी। इस समय फसल खड़ी हुई है। माह अप्रेल मई में फसल कटने के बाद सीमाज्ञान की दूसरी टीम गठित कर निष्पक्ष पैमाईश करवाई जावे एवं मिन प्रार्थी के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही निरस्त की जाने का निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मिन अपीलान्ट द्वारा पेश जबाब नोटिस का बिना ध्यानपुर्वक अवलोकन किये ही पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को खसरा नम्बर 57 में से 0.01 है० गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुऐ अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 21.02.2024 को आदेश पारित किया गया है, तहत अदालत द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से मिन अपीलान्ट को व मेरे अधिवक्ता को अनुपस्थित दिखाकर आदेश पारित किया गया है। जबकि मिन अपीलान्ट हर पेशी पर तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होता था। मिन अपीलान्ट का अधिवक्ता भी तारीख नियत तारीख पेशी पर जाता था। लेकिन तारीख पेशी नोट करवा देते थे, और अपनी मनमर्जी से मिन अपीलान्ट व मेरे अधिवक्ता को अनुपस्थित दिखाकर यह आदेश पारित किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 57 गैर मुमकिन रास्ता मे से 0.01 है० भूमि पर मिन अपीलान्ट के पेड व मिट्टी की डोल लगाकर कब्जा बताते हुऐ अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। जिस रिपोर्ट के खण्डन के लिए अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश अपने जबाब में साफ लिखा है, कि दुसरी टीम गठित कर खसरा नम्बर 57 व खसरा नम्बर 60, 61, 58, 56, 59, 54, 55 व 393, 394, 395 वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर की मुन्तकिल बिन्दू से निष्पक्ष पैमाईश करवाई जावे अगर खसरा नम्बर 57 मे मेरा अतिक्रमण पाया जाता है, तो मै उसे छोडने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई गोर नही किया गया। ना ही मौके की न्यायहित मे पुनः पैमाईश करवाई गई और पटवारी हल्का की पैमाईश के आधार पर आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने अपने जबाब में यह भी कथन किया था, कि मिन अपीलान्ट द्वारा रास्ता की भूमि पर कोई किसी प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ नंही है, बल्कि मिन प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 60, 61, 58, 56, 59 के दक्षिण–पूर्व कोने पर व खसरा नम्बर 53, 54, 55 के पूर्व में बंजड व बंजड के बाद रास्ता खसरा नम्बर 57 स्थित है। जिस रास्ते के पश्चिम मे बंजड स्थित है। तथा रास्ते के पूर्व मे भी बंजड स्थित है। खसरा नम्बर 393, 394, 395 के खातेदारो ने रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 57 व बंजड भूमि को दबाते हुऐ अतिक्रमण कर रखा है। इस ओर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही करते हुऐ आदेश पारित किया गया है, जो खिलाफ मौका खिलाफ कानून, नियम विरूद्ध होने के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

कारण अपास्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2024 की जानकारी मिन अपीलान्ट को व मेरे वकील साहब नहीं दी गई। लेकिन अब पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मिन अपीलान्ट की मिट्टी की डोल व पेड जो मेरी खातेदारी की भूमि में स्थित है, को हटाने एवं पैलन्टी की राशि वसूल करने के लिए आया तब मैने कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है। उसके निर्णय के बाद कोई कार्यवाही करना। पटवारी हल्का ने बताया कि निर्णय आपके विरूद्ध हो चुका है। निर्णय के बाद ही मुझे आपके पेड व डोल को हटाने का आदेश मिला है। इस पर उस समय तो मिन अपीलान्ट ने अपने पेड व मिट्टी की डोल नहीं हटाने दी और फिर मैं अपने वकील साहब से मिला तब वकील साहब ने जांच की तब उक्त आदेश का पता चला तो मिन अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.05.2024 को आदेश की नकल के लिए आवेदन किया। जो नकल दिनांक 20.05.2024 को प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है, लेकिन फिर भी देरी के समय के मुजरा के अलए अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.02.2024 को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश 21.02. 2024 के विरूद्व दिनाक 07.06.2024 को पेश की गयी है, जो करीब 5 माह पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.02.2024 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 19.05.2024 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 0.06 है० गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर मे से 0.01 है० भूमि पर पेड व मिट्टी की डोल लगाकर या अन्य किसी प्रकार भी अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, बल्कि मिन अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 60, 61, 58, 56, 59 के दक्षिण–पूर्व कोने पर व खसरा नम्बर 53, 54, 55 के पूर्व मे बंजड व बंजड़ के बाद रास्ता आराजी खसरा नम्बर 57 स्थित है। जिस रास्ते के पश्चिम मे बंजड स्थित है, तथा रास्ते के पूर्व मे भी बंजड स्थित है। खसरा नम्बर 393, 394, 395 के खातेदारो ने रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 57 व बंजड भूमि को दबाते हुऐ अतिक्रमण कर रखा है। जो रिपोर्ट हल्का पटवारी व टीम द्वारा सरंपच ग्राम पंचायत गादूवास द्वारा रंजिश वश एकतरफा में पैमाईश कर मिन अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिए झूठे तथ्यो के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई है। मिन अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल०आर०एक्ट की गलत कार्यवाही की गई है। आराजी खसरा न0 57 व खसरा नंम्बर 60, 61, 58, 56, 59, 54, 55 व 393, 394, 395 वाके ग्राम दाधिया तह० मुण्डावर की मुन्तकिल बिन्दू से निष्पक्ष पैमाईश कराकर सीमाज्ञान कराया जावे व रास्ते को कायम किया जावे अगर मिन प्रार्थी का रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 57 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो मिन प्रार्थी अतिक्रमण हटाने को तैयार है, साथ मे दिगर लोगो द्वारा रास्ते की भूमि व बंजड पर किये गये अतिक्रमण को भी हटवाया जाकर सीमाज्ञान कराया जावे, तथा मौके पर 10 फुट चौड़ा रास्ता चालू है। जिसमे आने जाने मे किसी प्रकार की बाधा नहीं है, ना ही उक्त 10 फुट रास्ता मे आवागमन मे मिन अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की बाधा कारित की जावेगी। इस समय फसल खड़ी हुई है। माह अप्रेल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

मई में फसल कटने के बाद सीमाज्ञान की दूसरी टीम गठित कर निष्पक्ष पैमाईश करवाई जावे हमने तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का गादूवास द्वारा अतिक्रमी/अपीलान्ट के विरूद्व ग्राम दाधिया की आराजी खसरा न0 57 रकबा 0.06 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ते की भूमि में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर पेड व मिटी की डोल लगा कर अवैध अतिक्रमण किये जाने पर दिनाक 10.10.2023 को धारा अन्तर्गत 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी। प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष दिनाक 19.10.2024 को उपस्थित होकर जवाब /वकालतनामा पेश किया गया जो तहत पत्रावली में शाामिल–मिशल है। अतिक्रमी/अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब में अपील में वर्णित तथ्यो को दौहराया गया है तथा पुनः पैमायश किये जाने हेतु कथन किया गया है, जो उचित नही है, क्योकि नियमानुसार/विधिक प्रावधानुसार कृषक को अपनी आराजी की ही पैमायश किये जाने का प्रावधान है, अपीलान्ट द्वारा अपनी आरीजी की पैमायंश करायी गयी हो का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष दिनाक 19.10.2023 के पश्चात उपस्थित ही नही हुआ न उनके वकील उपस्थित हुऐ। ऐसी स्थिति में प्रकरण में तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर दिनाक 21.02.2024 को विधिवत निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.02.2024 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा

(शिवपा[illegible])
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)